भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2635

25 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई का कार्यान्वयन

2635 श्री राम नाथ ठाकुरः

श्रीमती छाया वर्मा:

चौधरी सुखराम सिंह यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मौजूदा महंगाई को देखते हुए मार्च, 2022 के बाद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को जारी रखने पर विचार करेगी;

(ख) आज की तारीख तक इस योजना के अंतर्गत आने वाले जिलो की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार महंगाई को देखते हुए सभी राज्यों में यह योजना लागू करने पर विचार करेगी?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), (अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)) के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण के लिए सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। इस स्कीम के तहत, लाभार्थियों को चिह्नित करने और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है।

*****